

क्रमांक 109

पत्र (फार्म) संख्या - 7

राजस्थान गोशाला अधिनियम, 1960 की धारा 5 के अन्तर्गत (देखिये नियम-6)

पंजीयन (रजिस्ट्रेशन) प्रमाण-पत्र



कार्यालय पंजीयक (रजिस्ट्रार), गोशालाएं राजस्थान, जयपुर

श्री गोशाला बालोत्रा
(कौकुमेर) (काडमेर)
के सम्बन्ध में ।

चूंकि श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल न्यासी (ट्रस्टी) गोशाला
ने राजस्थान गोशाला

अधिनियम, 1960 (अधिनियम संख्या 24 सन् 1960) की धारा 5 के अन्तर्गत उक्त गोशाला के पंजीयन (रजिस्ट्रेशन) के लिये आवेदन किया है एवं चूंकि आवश्यक जांच पड़ताल कर लेने के पश्चात् में सन्तुष्ट हो गया हूं कि आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तुत अपेक्षित विवरण सही है तथा आवेदन-पत्र में दिये गये विवरण सत्य है, अतः मैं उक्त अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा 3 के अनुसरण में, एतद् द्वारा प्रमाणित करता हूं कि उपर्युक्त गोशाला पंजीयत (रजिस्टर) करली गई है ।

आज दिनांक दो फरवरी एक हजार नौ सौ चौ सानवे



पंजीयक (रजिस्ट्रार)
गोशालाएं, राजस्थान, जयपुर

अजमेरा मिडिंग वर्क्स, जयपुर

For SHREE GOSHALA BALOTRA

फरवरी

CHAIRMAN CASHIER